न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

वाद संख्या 99/दावा/13 पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक :– 26.11.2013 गोरधनलाल मीना (RAS)

बउनवान

1. गोबरिया आत्मज श्री किशना जाति माली निवासी ग्राम कालामाल तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

– वादी –

बनाम

1. श्री अन्शुल सोनी आत्मज श्री जुगलकिशोर सोनी जाति सुनार निवासी सोर्ती बाजार पुलिस चौकी के पास सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर (राज.)
2. श्री लईक अहमद आत्मज श्री हफीज अहमद जाति मुसलमान निवासी सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर (राज.)

– प्रतिवादीगण –

अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक :– 01.02.2019

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में वादी के खातेदारी स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा संख्या 944 रकबा 0.08 हैक्टयर, खसरा संख्या 945 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा संख्या 946 रकबा 0.03 हैक्टयर खसरा संख्या 947 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा संख्या 948 रकबा 0.13 हैक्टयर, खसरा संख्या 949 रकबा 0.14 हैक्टयर, खसरा संख्या 950 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा संख्या 951 रकबा 0.19 हैक्टयर, खसरा संख्या 952 रकबा 0.16 हैक्टयर, खसरा संख्या 953 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा संख्या 955 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा संख्या 982 रकबा 0.86 हैक्टयर, खसरा संख्या 986 रकबा 0.15 हैक्टयर कुल खसरा किता 13 कुल रकबा 2.02 हैक्टयर विस्थित है। वाद वर्णित कृषि भूमि पर वादी बतौर खातेदार काबिज होकर निर्वाद रूप से काश्त करता चला आ रहा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वर्णित भूमि 1,25,000 प्रति बीघा के हिसाब से बेचने का इकरार दिनांक 08.02.2011 को किया था। प्रतिवादीगण ने 20,000 साईपैटे वादी को अदा कर दिये गये थे। शेष राशि जुलाई 2011 के अन्त तक प्रतिवादीगण द्वारा वादी को अदा कर विक्रय पत्र निष्पादन कर पंजीयन कराना तय हुआ था। जुलाई 2011 समाप्त होने पर भी प्रतिवादीगण द्वारा पंजीयन नही कराया गया तथा टामलटोल करते

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

रहें न ही शेष राशि अदा की गई। वादी द्वारा दिनांक 27.08.2011 को विक्रय इकरार की पालना हेतु शेष रकम वादी को अदा कर वर्णित भूमि का पंजीयन कराने का नोटिस प्रतिवादीगण को दिया गया। प्रतिवादीगण द्वारा नोटिस प्राप्ति पश्चात भी विक्रय इकरार की पालना में शेष प्रतिफल का भुगतान नही किया गया एवं टामलटोल करते रहे। प्रतिवादीगण विक्रय इकरारनामा दिनांक 08.02.2011 का नाजायज लाभ उठाकर वाद वर्णित भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने बेदखल करने की धमकी देते रहे। तथा इकरार की आढ में झूठी रिपोर्ट पुलिस में कर वादी को नाजायज तंग करते है। प्रतिवादीगण ने इकरार की पालना नही कर दिनांक 21.10.2013 को कब्जा करने की धमकी दी यही वाद कारण है। और अन्त में प्रार्थना की कि वादी के खातेदारी स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि वादी को बेदख नही करे उस पर अतिक्रमण नही करे। इस बाबत प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

इस पर वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 की और से जवाब दावा पेश करते हुये कथन किया गया कि दिनांक 08.02.2011 को 1.25 लाख रूपये प्रति बीघा के हिसाब से सौदा तय करके 20,000 रूपये साईपैटे वादी को दिये गये थे। और सम्पूर्ण आराजी को विक्रय करने का इकरार किया गया था। इसके बाद आज दिन तक इकरारनामे की पालना नही की गई। अतः दावा वादी खारिज किया जावें।

हमारे द्वारा उभयपक्षों के अभिवचनो के आधार पर तनकीयात कायम की गई। वादीगण की और से दस्तावेजी साक्ष्यों में नक्शा ट्रेस प्रदर्श 1, जमाबन्दी सम्वत 2070–73 प्रदर्श 2, खसरा गिरदावरी सम्वत 2070–73 प्रदर्श 3, जमाबन्दी सम्वत 2066–69 प्रदर्श 4, नोटिस प्रति प्रदर्श 5, रजिस्टर्ड डाक की रसीद प्रदर्श 6, 7 पावती रसीद प्रदर्श 8 पेशकर प्रदर्श करवाये गये। मौखिक साक्ष्यों में पी.डब्लू.1 गोबरिया, पी. डब्लू. 2 बिरधीलाल, पी.डब्लू 3 गिरधारीलाल के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व दिनांक 05.08.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण की और से कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया गया।

हमारे द्वारा वादी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। हमारे द्वारा तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जा रहा है।

<u>तनकी संख्या 1</u> :– आया वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी को 1,25000 रूपये प्रति बीघा में बेचने का इकरारनामा सन् 2011 में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य में हुआ था।

<u>तनकी संख्या 2</u> :– आया वादी प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करावें।

तनकी संख्या 1 व 2 को साबित करने का भार वादी पर है। तथा तनकी संख्या 1 व 2 एक दूसरे से सम्बन्धित होने के कारण एक साथ निर्णित किया जाना उचित समझते है। वादी की और से प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्य सबूत का प्रतिवादीगण की और से साक्ष्य सबूत पेश कर कोई खण्डन नही किया गया। इस कारण प्रतिवादीगण के खण्डन के अभाव में तनकी संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 3</u> :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण का है। लेकिन प्रतिवादीगण की और से इस तनकी को साबित करने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य सबूत

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किये गये है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व एवं वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन करने के बाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी की और से प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वाद वर्णित कृषि भूमि से वादी को जबरन बेदखल नही करे व कब्जा अतिक्रमण नही करें ऐसा न तो स्वयं करे और नही किसी अपने प्रतिनिधि से करावें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

16-11-18	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी ~~सन्य कार्यालय बाहर दौरे में तशरीफ रखते है।~~ प्रशासनिक कार्य से व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 11-1-19 को पेश हों।
11.1.19	पत्रावली कोर्ट कैम्प इन्दरगढ़ में पेश हुई वकील वादी उपस्थित हुए। वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25.1.19 को पेश हो।
25-1-19	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित आदेश सुनाया नहीं जा सका वास्ते आदेश पत्रावली 1-2-19 को पेश हो।
1-2-19	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित आदेश निर्णय सुनाया गया वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी

अस्थिर डिगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी

व इजलास गोरधनलाल मीना R.A.S.

1 मोकुरिया आत्मज किशना जाति माली निवासी कालामाल तहसील इन्द्रगढ़ जिला-बून्दी (वादी) बनाम 1 अन्नपूर्ण सोनी आत्मज जुगलकिशोर जाति सुनार निवासी सोरती बाजार सवाईमाधोपुर 2. शफीक अहमद आत्मज हफीज अहमद जाति मुसलमान निवासी सवाईमाधोपुर (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत 188 आर-टी-ए-

मुकदमा नम्बर 99/दावा/13 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री बालकिशन शर्मा एड. मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री अ. सत्तार एड. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाता है व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाद वर्णित आराजी ख.नं. 944, 945, 946, 947 948, 949, 950, 951 952, 953, 955 982, 986 कुल किता-13 योग रकबा 2.02 हैक्टर वाके ग्राम इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित कृषि भूमि पर से वादी को जबरन बेदखल नहीं करे व कब्जा अतिक्रमण नहीं करे ऐसा न तो स्वयं करे और न ही किसी अपने प्रतिनिधि से करावे।

निज मुबलिग बाबत खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01-02-2019 माह सन को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।